

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-160 / 2015
संस्थित दिनांक 26.02.2015
फाई. क.234503001782015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला बालाघाट(म.प्र.)

—अभियोजन

// विरुद्ध //

राजेश बंजारा पिता बलसंग बंजारा, उम्र-25 वर्ष,

निवासी ग्राम डुडका परसामऊ थाना गढ़ी जिला बालाघाट। —आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक 16/01/2018 को घोषित)

01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 18.01.2015 को शाम 5:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत साईं मंदिर तिराहा, चालिस मकान बैहर में लोकमार्ग पर याम्हा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.डी.3409 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत क्षमा तिवारी के बांये पैर में टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रिती मिश्रा ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 18.01.2015 को अपनी माँ क्षमा तिवारी को अपनी स्कूटी में बैठाकर साईं मंदिर से वापस घर जा रही थी, तभी पीछे से आरोपी राजेश बंजारा ने तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.डी.3409 को चलाकर उन्हें टक्कर मार दिया, जिससे क्षमा तिवारी को चोट आई। ईलाज उपरांत दिनांक 23.01.2015 को रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना बैहर के अपराध क्रमांक 08/15 अंतर्गत धारा-279, 337 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-184 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान धारा-338 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। विवेचना दौरान फरियादी एवं गवाहों के कथन लिये गये तथा घटनास्थल का मौका-नक्शा, जप्ती की कार्यवाही की गई। विवेचना दौरान आरोपी का

उपस्थिति पंचनामा तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 12/15 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी राजेश बंजारा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत क्षमा तिवारी ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी घटना दिनांक 18.01.2015 को शाम 5:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत साईं मंदिर तिराहा, चालिस मकान बैहर में लोकमार्ग पर याम्हा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.डी.3409 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

05— साक्षी प्रीति मिश्रा अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब तीन वर्ष पूर्व शाम के समय साईं मंदिर के पास बैहर की है। घटना के समय वह अपनी माँ के साथ साईं मंदिर से वापस घर लौट रही थी। तिराहे के पास अचानक सामने से आ रही मोटर सायकिल को देखकर उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह लोग गिर गये और उसकी माँ के पैर में चोट आई। फिर माँ को उठाकर उन लोग घर ले आये और प्राथमिक उपचार के बाद माँ का आगे का इलाज बिलासपुर में हुआ। कुछ दिन बाद घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना बैहर में की थी, जो प्र.पी01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

06— साक्षी प्रीति मिश्रा अ.सा.01 के अनुसार मौका-नक्शा प्र.पी.02 पर उसके हस्ताक्षर हैं, परंतु वह नहीं बता सकती कि पुलिस घटनास्थल पर गई थी या नहीं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे और उसने उक्त

बात उन्हें बता दी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय कोहका तरफ से आ रहे मोटर सायकिल चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक वाहन को चलाकर उसकी स्कूटी को पीछे तरफ से ठोस मारकर एक्सीडेंट कर दिया था, मोटर सायकिल चालक को पकड़कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजेश बंजारे बताया था, जिसकी मोटर सायकिल का क्रमांक एम.पी.50.एम.डी. 3409 था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 का कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रही है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसकी स्कूटी अनियंत्रित होने के कारण गिरी थी तथा घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी।

07— साक्षी क्षमा तिवारी अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब तीन वर्ष पूर्व शाम के समय साईं मंदिर के पास बैहर की है। घटना के समय वह अपनी पुत्री के साथ साईं मंदिर से वापस घर लौट रही थी। तिराहे के पास अचानक सामने से आ रही मोटर सायकिल को देखकर उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह लोग गिर गये और उसे पैर में चोट आई। फिर उसे उठाकर घर ले आये और प्राथमिक उपचार के बाद उसका आगे का ईलाज बिलासपुर में हुआ। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे और उसने उक्त बात उन्हें बता दी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने घटना के समय कोहका तरफ से आ रहे मोटर सायकिल चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक वाहन को चलाकर उनकी स्कूटी को पीछे तरफ से ठोस मारकर एक्सीडेंट कर दिया था, मोटर सायकिल चालक को पकड़कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजेश बंजारे बताया था, जिसकी मोटर सायकिल का क्रमांक एम.पी.50.एम.डी.3409 था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.04 का कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार

किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रही है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उनकी स्कूटी अनियंत्रित होने के कारण गिरी थी तथा घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी।

08— प्रकरण में फरियादी प्रीति अ.सा.01 तथा आहत क्षमा तिवारी अ.सा.02 ने घटना से स्पष्ट इंकार कर यह व्यक्त किया है कि उनकी मोटर सायकिल अनियंत्रित होने से गिरी तथा घटना में आरोपी की गलती नहीं थी। प्रकरण में आहत क्षमा तिवारी द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लिया गया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त राजेश ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। फलतः अभियुक्त राजेश को भा.दं०सं० की धारा-279 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन याम्हा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी. 50एम.डी.3409 वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

11— अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, इस संबंध में धारा-428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / —

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / —

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)